

उत्तराखण्ड शासन  
राजस्व अनुभाग-1

सख्या-160 / XVIII(1)/2016-02(2)/2016

देहरादून: दिनांक: 20 अक्टूबर, 2016

दीर्घ कृ. व.

24/10

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और पूर्व में इस निमित्त जारी की गयी सरकारी अधिसूचनाओं में आंशिक उपांतरण करते हुए इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जिला अल्मोड़ा में "ध्याड़ी" मुख्यालय के साथ नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट ग्रामों से मिलकर "ध्याड़ी" ज्ञात नाम से एक नई उप तहसील सृजित करने और विद्यमान तहसील भनोली (गरुड़ाबांज) की सीमा से उक्त ग्रामों को पृथक करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2 राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात से किसी विधि न्यायालय में, जिसने उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

नवसृजित उप तहसील ध्याड़ी में सम्मिलित तहसील भनोली के ग्रामों की सूची

क्र०सं०	ग्राम का नाम	राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी)/लेखपाल क्षेत्र का नाम
1	2	3
1.	भेटावडोली मयचक रानीसेरा	ध्याड़ी
2.	भेसाड़ी	
3.	ध्याड़ी	
4.	मिरगांव	
5.	सिरगांव	
6.	धनकाना	
7.	माणों	
8.	देवलसीड़ी	बसौली
9.	बसौली	
10.	उचाबैड़ा	
11.	अनोली लगगा ढूना	
12.	कूनापोखरी	
13.	पपोली	
14.	नायलधुरा	
15.	चमतोला	
16.	मकड़ाउ	
17.	बालीखेत	

gm

- 18. दौलीगाड़ रंगोड़ी
- 19. गल्ली
- 20. किमना
- 21. रंगोड़ी
- 22. सिडियाखेत
- 23. विरकोला
- 24. बागपाली
- 25. काण्डागूठ रामेश्वर
- 26. कनारी दशौला बडियार
- 27. पालडीगूठ
- 28. फल्टिया
- 29. जिगोलीतोली
- 30. सानडी
- 31. दशौलाबडियार
- 32. गौलीघुघती कोट
- 33. मेल्टाजोल

आज्ञा से,

(डी०एस० गर्ब्याल)  
सचिव

संख्या- /XVIII(1)/2016 एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया इसे विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड-ख परिनियत आदेश में प्रकाशित कराकर मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियां राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(डी०एस० गर्ब्याल)  
सचिव

संख्या-160(2)/XVIII(1)/2016 एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक सूचना निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे०पी० जोशी)  
अपर सचिव